

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(सचलदल अनुसूचना)

लखनऊ = दिनांक = 25 मार्च, 2022

समस्त,

प्रिय करदाता,

उत्तर प्रदेश।

विषय:- रु.20 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए ई-इनवायस के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सुझाव।

सी.जी.एस्त.टी./एस्त.जी.एस्त.टी. नियमावली के नियम-48(4) द्वारा उचित अधिदूचना संख्या-1/2022-Central Tax दिनांक 24-02-2022 एवं उत्तर प्रदेश शासन, राज्य कर अनुसूचना-2 की अधिदूचना संख्या-117/ग्यारह-2-22-9(47)/17- टी.सी.178 - उ0प्र0 अधि0 -1-2017-आदेश-(228)-2022 लखनऊ दिनांक 16-03-2022 के अनुसार पिछले किती भी वर्ष (वर्षों) में कुल वार्षिक टर्नओवर रु.20 करोड़ से अधिक होने की स्थिति में दिनांक 01-04-2022 से ई-इनवायस जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है।

सी.जी.एस्त.टी./एस्त.जी.एस्त.टी. नियमों के नियम-48(5) में यह भी प्रावधान है कि किती व्यक्ति द्वारा जारी की गई प्रत्येक इनवायस जिस पर उप-नियम (4) लागू होता है, उक्त उप-नियम में निर्दिष्ट तरीके के अतिरिक्त किती भी अन्य तरह से जारी इनवायस को इनवायस की मान्यता नहीं दी जाएगी।

अतः दिनांक 01-04-2022 के बाद ई-इनवायस के अतिरिक्त किती अन्य तरीके से जारी की गई इनवायस को उक्त निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार इनवायस के रूप में नहीं माना जाएगा, जिसके कारण भविष्य में आपके व्यापार भागीदारों के लिए कठिनाइयां उत्पन्न होंगी।


उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त निर्दिष्ट प्रावधानों का पालन न करने का परिणाम, प्रावधानों का उल्लंघन होगा और जी.एस्त.टी. अधिनियम की धारा-125 के अन्तर्गत अर्थदण्ड एवं विधि अनुरूप लागू होने वाली अन्य कार्यवाही भी अनुप्रयुक्त होगी।

अतः परामर्श दिया जाता है कि आप अविलम्ब जी.एस्त.टी. ई-इनवायस पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अपने इनवायसेस को पंजीकृत कराना प्रारम्भ कर सकते हैं एवं इनवायस रजिस्ट्रेशन नम्बर जनरेट कर सकते हैं।

करदाताओं को इनवायस रजिस्ट्रेशन पोर्टल में अपने इनवायस रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा के लिए सरल ऑनलाइन और ऑफलाइन टूल्स उपलब्ध कराए गए हैं। इन टूल्स की विशेषताओं और उपयोगिता पर एक प्रस्तुति नीचे दिए गए लिंक में दी गई है :-

https://docs.ewaybillgst.gov.in/Documents/e-Invoice_System.pdf

अधिक जानकारी, उपयोगकर्ता गाईड, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, संदर्भ और तकनीकी संसाधन हेतु <https://einvoice1.gst.gov.in/>. वेबसाइट पर सम्पर्क किया जा सकता है।


कमिश्नर,

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

Letter No.- 1171

/ Commercial Tax

Office of the Commissioner, Commercial Tax, U.P.
(Mobile Squad Section)

Lucknow : Date : March 25 2022

TO,
ALL TAXPAYERS FOR E-INVOICING

Sub: Important advisory for e-Invoice for Taxpayers having annual turnover exceeding Rs. 20 Crores

Dear Taxpayer,

As per Rule 48 (4) of the CGST / SGST Rules read with Notification No. 1 / 2022-Central Tax dated 24-02-2022, and notification no-117/XI-2-22-9(47)/17-T.C.178-U.P.Act-1-2017-order-(228)-2022 Lucknow Dated-16-03-2022 you are required to generate e-Invoices from 1st of April 2022, as your Aggregate Annual Turnover exceeded Rs. 20 Crores in any of the preceding year(s).

Rule 48 (5) of CGST / SGST Rules also provides that every invoice issued by a person to whom sub-rule (4) applies in any manner other than the manner specified in the said sub-rule shall not be treated as an invoice.

Hence, the invoices issued by you in any other manner other than e-Invoicing after 1st of April 2022, shall not be treated as an invoice as per the provisions referred to above, which would create difficulties for your business partners in future.

In addition to the above, non-compliance to the provisions as mentioned above will result in contravention of the provisions and may attract penalty under Section 125 of the GST Act and any other actions as may be applicable under the Law.

It is therefore advised that you may register yourself immediately in the GST e-Invoice portal and start registering your invoices and generate Invoice Registration Number.

To facilitate the taxpayers to register their invoices in Invoice Registration Portal, simple online and offline tools are made available. A presentation on features and usability of these tools are provided in the link below:
https://docs.ewaybillgst.gov.in/Documents/e-Invoice_System.pdf

For more details, User Guides, FAQs, references and technical resources etc., please visit <https://einvoice1.gst.gov.in/>.

Atty
25/3/2022

COMMISSIONER
COMMERCIAL TAX, UTTAR PRADESH